प्रेषक,

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड।
17/2 प्रकाश विहार, धरमपुर,
देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 509 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः फरवरी, 27 2020।

विषयः– **बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना (PMGSY) के अन्तर्गत निर्मित सडकों के लक्ष्यों का अन्तर्जनपदीय समायोजन के संबन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 354/ बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः 04 नवम्बर 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु भारत सरकार से निर्धारित प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना (PMGSY) के अन्तर्गत 2500 कि0मी0 सडक निर्माण के जनपदवार लक्ष्य प्रेषित किए गये थे। पुनः यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा पत्र संख्या 3181/एमओ2-09(ii)/यू0आर0आर0डी0ए0/ 14 दिनांक 25 फरवरी 2020 से पूर्व में निर्धारित जनपदवार लक्ष्यों का अन्तर्जनपदीय समायोजन कर संशोधित जनपदवार लक्ष्य उपलब्ध कराये गये है, जिसे सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न संशोधित जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक।

पत्रांक /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0,उत्तराखण्ड़।
5. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल।
1. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि संलग्न लक्ष्यों को वैबसाईट में फीड कराते हुए रिपोर्ट ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

निदेशक।

बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के संशोधित जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र०स०	जनपद का नाम	पूर्व में निर्धारित लक्ष्य (कि0मी0)	संशोधित लक्ष्य (कि0मी0)
1	2	3	4
1	उत्तरकाशी	211.00	195.00
2	चमोली	355.00	320.00
3	रूद्रप्रयाग	140.00	175.00
4	टिहरी	236.00	260.00
5	देहरादून	135.00	145.00
6	पौड़ी	219.00	230.00
7	हरिद्वार	0.00	0.00
8	पिथौरागढ़	295.00	215.00
9	बागेश्वर	205.00	170.00
10	अल्मोड़ा	467.00	495.00
11	चम्पावत	108.00	170.00
12	नैनीताल	129.00	125.00
13	उधमसिंहनगर	0.00	0.00
	कुल योग	2500.00	2500.00

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड।
17/2 प्रकाश विहार, धरमपुर,
देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त अर्थ व संख्याधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 17 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः मई, 5 2020।

विषयः– **बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना (PMGSY) के अन्तर्गत निर्मित सडकों के संशोधित लक्ष्यों का अन्तर्जनपदीय समायोजन के संबन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 509/ बी0सू0का0(लक्ष्य) /2019–20 दिनांकः 27 फरवरी 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सडक योजना(PMGSY) के अन्तर्गत 2500 कि0मी0 सडक निर्माण के अन्तर्जनपदीय समायोजन कर संशोधित जनपदवार लक्ष्य उपलब्ध कराये गये थे । पुनः यू0आर0आर0डी0ए0 के पत्र संख्या 3226/एमओ2-09(ii)/यू0आर0आर0डी0ए0/ 14 दिनांक 29 फरवरी 2020 द्वारा संशोधित अन्तर्जनपदीय लक्ष्य उपलब्ध कराये गये है। जिसे सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न संशोधित जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

01C (गीतांजली शर्मा गोयल)
उप निदेशक,
कृते संयुक्त निदेशक।

पत्रांक 17 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0,उत्तराखण्ड़।
5. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल।

उप निदेशक।

01C

बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के संशोधित जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र0 स0	जनपद का नाम	पूर्व में निर्धारित लक्ष्य (कि0मी0)	संशोधित लक्ष्य (कि0मी0)
1	2	3	4
1	उत्तरकाशी	195.00	195.00
2	चमोली	320.00	320.00
3	रूद्रप्रयाग	175.00	175.00
4	टिहरी	260.00	260.00
5	देहरादून	145.00	145.00
6	पौड़ी	230.00	230.00
7	हरिद्वार	0.00	0.00
8	पिथौरागढ़	215.00	261.00
9	बागेश्वर	170.00	175.00
10	अल्मोड़ा	495.00	495.00
11	चम्पावत	170.00	119.00
12	नैनीताल	125.00	125.00
13	उधमसिंहनगर	0.00	0.00
	कुल योग	2500.00	2500.00

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या
(बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान)
उत्तराखण्ड।
17/2, प्रकाश विहार,
धर्मपुर, देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 354 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः नवम्बर,04 2019।

विषयः– **बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में अनुश्रवण हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संशोधित जनपदवार लक्ष्यों का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 296/बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः 9 अगस्त 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वर्ष 2019–20 के अुनश्रवण हेतु 3000 कि०मी० सड़कों के निर्माण के जनपदवार लक्ष्य प्रेषित किए गये थे। पुनः यू0आर0आर0डी0ए0 से 2500 कि0मी सड़क निर्माण के जनपदवार लक्ष्य ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुए है, जिनको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक।

पत्रांक /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड़ शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू।
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड़।
5. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू।
6. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि संलग्न लक्ष्यों को वैबसाईट में फीड कराते हुए रिपोर्ट ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

निदेशक।

बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के संशोधित जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र०स०	जनपद का नाम	पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत निर्मित सड़के (कि0मी0)
1	2	3
1	उत्तरकाशी	211.00
2	चमोली	355.00
3	रूद्रप्रयाग	140.00
4	टिहरी	236.00
5	देहरादून	135.00
6	पौड़ी	219.00
7	हरिद्वार	0.00
8	पिथौरागढ़	295.00
9	बागेश्वर	205.00
10	अल्मोड़ा	467.00
11	चम्पावत	108.00
12	नैनीताल	129.00
13	उधमसिंहनगर	0.00
	कुल योग	2500.00

प्रेषक,

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड।
17/2 प्रकाश विहार, धरमपुर,
देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 294 /बी०सू०का०(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकःसितम्बर, 09 2019

विषयः– **बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता के जनपदवार भौतिक लक्ष्यों का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 162/बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20, दिनांक 01.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सूत्र संख्या–10, अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनश्रवण हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता मदों के अनन्तिम जनपदवार लक्ष्य प्रेषित किए गये थे। बहुउदेशीय वित एवं विकास निगम से **अनुसूचित जाति के 1463 परिवार व अनुसूचित जनजाति के 100 परिवारों को आर्थिक सहायता** के जनपदवार लक्ष्य प्राप्त हुए है। जिनको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि समसामायिक मानकों के अनुसार संलग्न जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(सुशील कुमार)
निदेशक।

o/c

पत्रांक 294 /बी०सू०का०(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड़ शासन।
2. सचिव, नियोजन,उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू।
4. प्रबन्ध निदेशक,उत्तराखण्ड़ बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम।
5. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू।
6. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि संलग्न लक्ष्यों को वैबसाईट में फीड कराते हुए रिपोर्ट ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

निदेशक।

o/c

बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र० स०	जनपद का नाम	अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु आर्थिक सहायता (संख्या)	अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु आर्थिक सहायता (संख्या)
1	2	3	4
1	उत्तरकाशी	70	01
2	चमोली	70	04
3	रूद्रप्रयाग	75	0
4	टिहरी	115	0
5	देहरादून	185	38
6	पौड़ी	105	01
7	हरिद्वार	218	02
8	पिथौरागढ़	85	08
9	बागेश्वर	60	01
10	अल्मोड़ा	125	00
11	चम्पावत	50	00
12	नैनीताल	155	03
13	उधमसिंहनगर	150	42
	कुल योग	1463	100

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या
(बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान)
उत्तराखण्ड।
17/2, प्रकाश विहार,
धर्मपुर, देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 296 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः अगस्त, 9 2019।

विषयः— बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में अनुश्रवण हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जनपदवार लक्ष्यों का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बीस सूत्री कार्यक्रम के **सूत्र सं0—17 ग्रामीण सड़क** के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु **यू०आर०आर०डी०ए० से 3000 कि०मी०** सड़कों के जनपदवार लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक।

पत्रांक 296 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड़ शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू।
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड़।
5. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू।
6. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि संलग्न लक्ष्यों को वैबसाईट में फीड कराते हुए रिपोर्ट ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

निदेशक।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित लक्ष्यों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लम्बाई किमी0 में
1	अल्मोड़ा	560.00
2	बागेश्वर	250.00
3	चमोली	390.00
4	चम्पावत	130.00
5	देहरादून	165.00
6	हरिद्वार	0.00
7	नैनीताल	155.00
8	पौड़ी	260.00
9	पिथौरागढ़	350.00
10	रूद्रप्रयाग	200.00
11	टिहरी	290.00
12	ऊधमसिंह नगर	0.00
13	उत्तरकाशी	250.00
	योग	**3000.00**

प्रेषक,

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड।
17/2 प्रकाश विहार, धरमपुर,
देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 225 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः ~~जुलाई~~, अगस्त 01 2019

विषयः– **बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लक्ष्यों की जनपदवार फांट के संबन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु यू0एस0आर0एल0एम0 से **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत **नवगठित व पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूह, रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक निवेश फण्ड प्राप्त स्वयं सहायता समूह** व **पेयजल निगम** से **आंशिक सेवित व पेयजल से छूटी हुई बसावटें (अनन्तिम)** तथा **पेयजल गुणवत्ता समस्याग्रस्त बसावटों (अनन्तिम)** के जनपदवार लक्ष्य प्राप्त हुए है, जिनको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त लक्ष्य बीस सूत्री कार्यक्रम की Application 20pt.mpr.uk.gov.in में यथास्थान पर फीड कर दिये गये है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न संशोधित जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक।

OK

पत्रांक 225 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम को इस अनुरोध के साथ कि एन0आर0एल0एम0 के लक्ष्यों को भारत सरकार के रेखीय मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने का कष्ट करें।
6. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0 को इस अनुरोध के साथ कि एन0आर0एल0एम0 के लक्ष्यों को भारत सरकार के रेखीय मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने का कष्ट करें।
7. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल।
8. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक।

OK

बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र० स०	जनपद का नाम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) (अनन्तिम)	
		नवगठित एवं पुनर्जीवित स्वय सहायता समूह	रिवाल्विंग फण्ड़ प्राप्त स्वयं सहायता समूह	सामुदायिक फण्ड़ प्राप्त स्वयं सहायता समूह	पेयजल से छूटी व आंशिक सेवित बसावटें	पेयजल गुणवत्ता समस्याग्रस्त बसावटें
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तरकाशी	710	450	450	46	
2	चमोली	980	900	1080	70	
3	रूद्रप्रयाग	350	275	330	40	
4	टिहरी	980	540	650	375	
5	देहरादून	650	600	720	75	
6	पौड़ी	950	1200	1420	200	
7	हरिद्वार	1170	1100	1320	10	6
8	पिथौरागढ़	670	450	520	92	
9	बागेश्वर	450	215	250	60	
10	अल्मोड़ा	910	320	350	312	
11	चम्पावत	430	250	300	12	
12	नैनीताल	800	900	1050	20	
13	उधमसिंहनगर	950	1300	1560	2	
	कुल योग	**10000**	**8500**	**10000**	**1314**	**6**

Adso (TPP)

प्रेषक,

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड।
17/2 प्रकाश विहार, धरमपुर,
देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 212 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019-20 दिनांकः जुलाई 23 2019।

विषयः- **बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में अनुश्रवण हेतु बायोगैस सयंत्रों की स्थापना, वृक्षारोपण क्षेत्राच्छादन व रोपित पौंध व लघु सिंचाई-सिंचन क्षमता सृजन के जनपदवार लक्ष्यों का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019-20 के अुनश्रवण हेतु वन विभाग से **पर्यावरण सुरक्षा एवं वन वृद्धि** सूत्र के अन्तर्गत पौंध रोपण से क्षेत्राच्छादन व रोपित किए जाने वाले पौंध, अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड़ पौडी से **बायोगैस सयंत्रों की स्थापना व लघु सिंचाई विभाग** से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लक्ष्य के अनुसार बजट भारत सरकार से प्राप्त होने की प्रत्याशा में **बोरिंग पम्पसेट, आर्टीजन कूप, सिंचाई गूल, सिंचाई हौज, हाईड्रम व सिंचन क्षमता** के अनन्तिम जनपदवार लक्ष्य प्राप्त हुए है। जिनको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

o/c (सुशील कुमार)
निदेशक।

पत्रांक 212 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019-20, दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड़ शासन।
2. सचिव, नियोजन,उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड़ शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू।
7. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू।
8. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि संलग्न लक्ष्यों को वैबसाईट में फीड कराते हुए रिपोर्ट ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

निदेशक।

o/c

बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र० स०	जनपद का नाम	बायो गैस सयंत्रों की स्थापना (संख्या)	वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्रफल (हेक्टे0)	वृक्षारोपण के अन्तर्गत रोपित पौध (लाख संख्या)	लघु सिंचाई					
					बोरिंग पम्पसेट (संख्या)	आर्टीजन कूप (संख्या)	सिंचाई गूल (कि0मी0)	सिंचाई हौज (संख्या)	हाईड्रम	सिंचन क्षमता (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5						
1	उत्तरकाशी	15	1059.48	9.48	0	0	75.00	155	0	1150.00
2	चमोली	15	2625.94	21.54	0	0	5.00	10	2	20.00
3	रूद्रप्रयाग	12	472.50	4.07	0	0	0.00	10	0	10.00
4	टिहरी	20	2718.60	28.50	0	0	15.00	25	0	200.00
5	देहरादून	125	1302.84	13.22	0	0	30.00	20	0	700.00
6	पौड़ी	35	3293.76	26.89	0	0	30.00	15	0	250.00
7	हरिद्वार	170	501.00	4.08	60	0	5.00	0	0	320.00
8	पिथौरागढ़	24	1965.41	20.77	0	0	10.00	10	0	80.00
9	बागेश्वर	15	1438.22	12.48	0	0	5.00	10	0	70.00
10	अल्मोड़ा	30	1686.56	13.59	0	0	5.00	5	0	70.00
11	चम्पावत	15	1094.28	9.04	0	0	5.00	30	0	80.00
12	नैनीताल	124	1851.33	15.62	0	0	20.00	20	0	200.00
13	उधमसिंहनगर	200	1070.08	9.92	80	40	5.00	0	0	1000.00
	कुल योग	**800**	**21080.00**	**189.20**	**140**	**40**	**210.00**	**310**	**2**	**4150.00**

Adso(TPP)

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
नियोजन,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
(बीस सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित)
उत्तराखण्ड।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

नियोजन विभाग–बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन। देहरादून, दिनांकः 15 जुलाई, 2019

विषयः– **बीस सूत्री कार्यक्रम 2019–20 के अनुश्रवण हेतु रैकिंग एवं नॉन रैकिंग योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण, टास्क फोर्स का प्रभावी कार्यान्वयन, सूची प्रकाशन तथा सूचनाओं की एकरूपता के साथ–साथ रिपोर्टिंग की समय सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन की उपयोगिता से आप विज्ञ हैं। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु गत वर्षों में भी योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गए हैं। प्रक्रियानुसार विभागों द्वारा व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारण के प्रस्ताव भारत सरकार के रेखीय मंत्रालय को प्रेषित किये जाने हेतु अवगत कराया जाता रहा है, परन्तु अनुभव रहा है कि राज्य स्तर के रेखीय विभागों द्वारा अपने जनपदीय नोडल कार्यालयों से लक्ष्य निर्धारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाते हैं व भारत सरकार को लक्ष्य अनुमोदन का प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाता है। परिणामतः भारत सरकार के रेखीय मंत्रालयों द्वारा रैंकिंग योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित कर सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (बीस सूत्री कार्यक्रम प्रभाग), भारत सरकार को उपलब्ध करा दिए जाते हैं, तत्पश्चात् समसामयिक लक्ष्य राज्य को प्राप्त होते हैं। निर्धारित लक्ष्य अव्यवहारिक होने की दशा में सम्बन्धित विभागों को लक्ष्य पूर्ण किए जाने में कठिनाई होने पर लक्ष्य संशोधन की त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती है।

गत वर्ष 2018–19 में निम्न मदों के लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुए।

1. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्राम।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) से लाभान्वित परिसम्पत्ति सृजन के लिए सहायतित अनुसूचित जाति परिवार।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G)।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)– आंशिक सेवित व पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के लक्ष्य भारत सरकार स्तर से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में प्राप्त हुए जिसकी जनपदवार फांट पेयजल निगम उपलब्ध द्वारा नहीं करायी गयी। पेयजल निगम द्वारा राज्य स्तर पर किए गए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को भारत सरकार से अनुमोदित नहीं कराये जाने के कारण जनपदों की रैकिंग में अनिश्चितता बनी रही।

योजनाओं के व्यवहारिक लक्ष्यों का निर्धारण ससमय किए जाने हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर ली जाय।

लक्ष्य निर्धारणः–

- संसाधनों की उपलब्धता, सम्भावनाओं, क्षमताओं व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तथा गत वर्ष की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए जनपदों से लक्ष्य निर्धारण प्रस्ताव प्राप्त कर व्यवहारिक लक्ष्य प्रस्तावित किए जाय।
- योजनाओं के लक्ष्यों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्रताशीघ्र में रेखीय मंत्रालय भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाय, जिसकी प्रतिलिपि नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान को आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

क्रमशः 2

- लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों का चयन शीघ्र कर लिया जाय।
- राज्य स्तर से निर्धारित किए जाने वाले लक्षित योग्य रैकिंग व नॉन रैकिंग योजनाओं के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु उपलब्ध करा दिए जाय।
- लक्ष्यों का निर्धारण योजना के दिशा–निर्देशों (Guide Line) के अनुरूप किया जाय तथा योजना की Guide Line आवश्यक रूप से बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिष्ठान को उपलब्ध करा दी जाय।
- लक्ष्य निर्धारण से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय कि लक्ष्य व्यवहारिक हों, विशेष परिस्थितियों में लक्ष्य संशोधन अथवा अन्तर्जनपदीय समायोजन किया जाना आवश्यक हो तो वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमासान्त से पूर्व ही संशोधन कर लिया जाय। माह दिसम्बर के पश्चात राज्य स्तर की योजनाओं के लक्ष्यों पर संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। मात्र भारत सरकार स्तर से संशोधित लक्ष्यों अथवा विभागों द्वारा अपने स्तर से लक्ष्य संशोधन किए जाने की दशा में भारत सरकार के रेखीय मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात ही अनुश्रवण हेतु बीस सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकेगा।

2. **सूचनाओं के आदान–प्रदान की समय सीमा–** कार्यक्रम से सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी माह की अन्तिम तिथि तक की प्रगति आगामी माह के 5वीं तिथि तक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी प्रतिलिपि योजना से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से की जाय। तत्पश्चात माह 10वीं तिथि तक बीस सूत्री कार्यक्रम की ऑन लाइन एप्लीकेशन **(http://20pt.mpr.uk.gov.in)** में जनपद स्तर से प्रगति सूचनाएं फीड कर ली जाय।

- त्वरित अनुश्रवण व पर्यावरण संरक्षण (कम से कम स्टेशनरी प्रयोग) के दृष्टिगत विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षरित मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 15वीं तिथि तक आवश्यक रूप से केवल साफ्ट कापी बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान की E-mail- jdtppuk75@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाय।

3. **सूचनाओं में एकरूपता–** प्रक्रियानुसार विभागों द्वारा जनपद स्तर से एम0आई0एस0 में प्राप्त प्रगति के अनुसार रेखीय मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रेषित की जाती है। गत वर्षों में जनपदों तथा विभागाध्यक्ष स्तर से बीस सूत्री कार्यक्रम को प्राप्त होने वाली सूचनाओं में पर्याप्त भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। राज्य स्तर से सूचनाओं में एकरूपता बनाए रखने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–491/बीसूका–2006(प्रगति) दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 में स्पष्ट किया गया है कि सूचना का स्रोत एक होने पर भी विसंगति कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि ससमय विसंगतियों का निराकरण नहीं किया जाता है, तो विभागीय रिपोर्ट को अन्तिम मानते हुए प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

4. **सूची प्रकाशन–** शासनादेश संख्या–279/बीसूका(सू०प्र०)/2008–09 दिनांक 10 सितम्बर, 2016 द्वारा सूची प्रकाशन योग्य मदें वर्णित हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जनपदीय व मण्डलीय टास्क फोर्स अधिकारियों व समिति के नामित उपाध्यक्ष व सदस्यों को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके, इस हेतु बीस सूत्री कार्यक्रम की एप्लीकेशन **(http://20ptmpr.uk.gov.in)** में प्रत्येक माह सूचियां अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है। एक माह का समय दिए जाने के उपरान्त भी समय–समय सूची प्रकाशन न होने का कोई कारण स्वीकार्य नहीं होगा।

यह स्पष्ट किया जाना है कि मण्डलीय कार्यालय, अर्थ एवं संख्या द्वारा एक माह पूर्व प्रगति के अनुसार वैब साइट पर जनपद स्तर से सूचियों के अपलोड होने की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा। सूचियाँ मण्डल स्तर पर प्राप्त होने के उपरान्त कन्ट्रोल चार्ट पूर्व की भाँति उपलब्ध कराया जायेगा तत्पश्चात सूचियों का परिनिरीक्षण किया जायेगा।

- सूची प्रकाशन की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपदीय नोडल कार्यालय की होगी। अपूर्ण व अहस्ताक्षरित सूचियां प्राप्त होने पर मण्डलीय कार्यालय अर्थ एवं संख्या द्वारा मूल रूप में सम्बन्धित जनपद को वापस कर दी जांय तथा सूची प्रकाशन प्रगति में **'डी'** श्रेणी का अंकन किया जायेगा।

5. **टास्क फोर्स**— योजनाओं के भौतिक सत्यापन हेतु गठित मण्डलीय, जनपदीय टास्क फोर्स अधिकारियों को प्रत्येक माह जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा योजनाओं की सूची उपलब्ध कराते हुए अधिकारियों को व बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में नामित गैर सरकारी महानुभावों को भी सूचियों के वैब साईट में स्थित होने की जानकारी उपलब्ध करायी जाय। प्रत्येक टास्क फोर्स अधिकारी, प्रतिमाह लक्षित 25 इकाईयों का सत्यापन कर निरीक्षण टिप्पणी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करते हुए सत्यापन के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ फर्जी/अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण इकाईयों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारण कर वित्तीय वर्ष 2019—20 में बीस सूत्री कार्यक्रम की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने का हर सम्भव प्रयास करने कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पत्रांकः— 187 /बी०सू०का०(लक्ष्य)/2018—19 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. मा0 उपाध्यक्ष (मंत्री स्तर) राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (बीस सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित) उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उक्तानुसार यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. मण्डलायुक्त कुमांयू/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (बीस सूत्री कार्यक्रम प्रभाग), भारत सरकार, लेवल 06, ईस्ट ब्लॉक—6, आर०के०पुरम सेक्टर 01, नई दिल्ली।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या कुमांयू/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड को निर्देशों के परिपालनार्थ।
11. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(भूपाल सिंह मनराल)
प्रभारी सचिव।

प्रेषक,

निदेशक एवं विभागाध्यक्ष,
अर्थ एवं संख्या/बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान,
उत्तराखण्ड।
17/2 प्रकाश विहार, धरमपुर,
देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 162/बी०सू०का०(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः जून जुलाई, 01, 2019

विषयः– **बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम स्थापना,राष्ट्रीय बचत शुद्ध जमा धनराशि, राजकीय सिंचाई व अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता के जनपदवार भौतिक लक्ष्यों का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु उद्योग निदेशालय से **सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम स्थापना, बचत निदेशालय** से राष्ट्रीय बचत शुद्ध जमा धनराशि, सिंचाई विभाग से **राजकीय सिंचाई** के जनपदवार लक्ष्य प्राप्त हुए है, इसी प्रकार बहुउदेशीय वित एवं विकास निगम से **अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता** के अनन्तिम जनपदवार लक्ष्य प्राप्त हुए है। जिनको व राष्ट्रीय बचत–शुद्ध जमा धनराशि के मासिक मानक को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अन्य मदों के रैंकिंग के मासिक मानक पूर्ववत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि समसामायिक मानकों के अनुसार संलग्न जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक।

पत्रांक 162/बी०सू०का०(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड़ शासन।
4. सचिव, नियोजन,उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू।
6. अपर सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड़ शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक,उत्तराखण्ड़ बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम।
8. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राष्ट्रीय बचत, उत्तराखण्ड।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड़।
11. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू।
12. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि संलग्न लक्ष्यों को वैबसाईट में फीड कर दिया गया है।

निदेशक।

बीस सूत्री कार्यक्रम में वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र० स०	जनपद का नाम	सूक्ष्म व लघु उद्योग (संख्या)	राष्ट्रीय बचत (लाख रू0)	अनु०जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (अनन्तिम) (संख्या)	अनु०जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (अनन्तिम) (संख्या)	राजकीय सिंचाई (सिंचन क्षमता) (हेक्टेयर)			
						नहर	नलकूप	लघुडाल नहर	योग
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
1	उत्तरकाशी	176	1750.00	62	1	0.00	0.00	100.00	100.00
2	चमोली	177	4370.00	62	4	67.00	0.00	77.00	144.00
3	रूद्रप्रयाग	154	930.00	67	0	1.00	0.00	0.00	1.00
4	टिहरी	270	2800.00	107	0	34.00	0.00	0.00	34.00
5	देहरादून	474	23500.00	176	38	40.00	75.00	0.00	115.00
6	पौड़ी	402	8920.00	97	1	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हरिद्वार	675	8140.00	303	2	131.00	0.00	0.00	131.00
8	पिथौरागढ़	213	8590.00	79	8	7.00	0.00	60.00	67.00
9	बागेश्वर	152	3520.00	55	1	0.00	0.00	64.00	64.00
10	अल्मोड़ा	241	8650.00	117	0	0.00	0.00	165.00	165.00
11	चम्पावत	154	6120.00	37	0	4.00	30.00	0.00	34.00
12	नैनीताल	289	12880.00	147	3	6.00	102.00	0.00	108.00
13	उधमसिंहनगर	627	9830.00	150	42	60.00	150.00	0.00	210.00
	कुल योग	**4004**	**100000.00**	**1459**	**100**	**350.00**	**357.00**	**466.00**	**1173.00**

राष्ट्रीय बचत शुद्ध जमा धनराशि के मासिक मानक (प्रतिशत में), वर्ष 2019–20)

मद	अप्रैल	अप्रैल–मई	अप्रैल–जून	अप्रैल–जुलाई	अप्रैल–अगस्त	अप्रैल–सितम्बर	अप्रैल–अक्टूबर	अप्रैल–नवम्बर	अप्रैल–दिसम्बर	अप्रैल–जनवरी	अप्रैल–फरवरी	अप्रैल–मार्च
राष्ट्रीय बचत–शुद्ध जमा धनराशि	3	8	15	23	31	39	48	58	68	78	88	100

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या
(बीस सूत्री कार्यक्रम अधिष्ठान)
उत्तराखण्ड।
17/2, प्रकाश विहार,
धर्मपुर, देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 444/बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांकः जनवरी,06,2019।

<u>विषयः–</u> **<u>बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संशोधित जनपदवार लक्ष्यों का प्रेषण।</u>**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 225/बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20 दिनांक 01 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वर्ष 2019–20 के अनुश्रवण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 10000 नवगठित व पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूह, 8500 रिवाल्विंग फण्ड़ प्राप्त स्वयं सहायता समूह व 10000 सामुदायिक निवेश फण्ड़ प्राप्त स्वयं सहायता समूह के जनपदवार लक्ष्य प्रेषित किए गये थे। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से ई–मेल के माध्यम से यू0एस0आर0एल0एम0 को **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 8000 नवगठित व पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूह, 5950 रिवाल्विंग फण्ड़ प्राप्त स्वयं सहायता समूह व 5500 सामुदायिक निवेश फण्ड़ प्राप्त स्वयं सहायता समूह** के **संशोधित** लक्ष्य प्राप्त हुए है, जिनकी जनपदवार फांट सलंग्न कर प्रेषित किया जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न संशोधित जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक।

o/c

<u>पत्रांक 444 /बी0सू0का0(लक्ष्य)/2019–20, दिनांकित।</u>

<u>**प्रतिलिपिः–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड़ शासन।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड़ शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0,उत्तराखण्ड़।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू।
5. निदेशक, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (बीस सूत्री कार्यक्रम स्कन्ध), भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमांयू।
7. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि संलग्न लक्ष्यों को वैबसाईट में फीड कराते हुए रिपोर्ट ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

निदेशक।

o/c

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के संशोधित जनपदवार भौतिक लक्ष्य

क्र0 स0	जनपद का नाम	नवगठित एवं पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूह (संख्या)	रिवाल्विंग फण्ड़ (R.F) प्राप्त स्वयं सहायता समूह (संख्या)	सामुदायिक निवेश फण्ड़ (C.I.F) प्राप्त स्वयं सहायता समूह (संख्या)
1	2	3	4	5
1	उत्तरकाशी	**568**	**315**	**248**
2	चमोली	**784**	**630**	**594**
3	रूद्रप्रयाग	**280**	**193**	**182**
4	टिहरी	**784**	**378**	**358**
5	देहरादून	**520**	**420**	**396**
6	पौड़ी	**760**	**840**	**781**
7	हरिद्वार	**936**	**770**	**726**
8	पिथौरागढ़	**536**	**315**	**286**
9	बागेश्वर	**360**	**150**	**137**
10	अल्मोड़ा	**728**	**224**	**192**
11	चम्पावत	**344**	**175**	**165**
12	नैनीताल	**640**	**630**	**577**
13	उधमसिंहनगर	**760**	**910**	**858**
	कुल योग	**8000**	**5950**	**5500**

Adso